कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

पता :– सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा   ई–मेल :– nnkota@gmail.com
revenuemck@gmail.com

क्रमांकः– ननिको/राजस्व/मेला/2019/1585-951   दिनांकः– 11-09-2019

–:: नीलामी विज्ञप्ति ::–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय मेला दशहरा 2019 में मेला अवधि दिनांक 29.09.2019 से दिनांक 24.10.2019 तक की अवधि के लिए है। मेला प्रागंण के इस्ट जोन में 8 झूले एंव वेस्ट जोन में 12 झूले स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। यह झूले खुली नीलामी में आवंटित किये जावेंगे। जिनकी खुली नीलामी 17.09.2019 से 18.09.2019 तक रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था खुली बोली में भाग लेना चाहते है। वह नियत समय 10 बजे से 1 बजे तक आवेदन शुल्क नगद एवं धरोहर राशि का चैक निगम कोष में जमा करवाकर टोकन प्राप्त करने के उपरांत खुली बोली में भाग ले सकेंगे। तत्पश्चात 2 बजे से बोली प्रारंभ होगी। बिना आवेदन शुल्क, धरोहर राशि जमा कराएं बोली में भाग नही ले सकेगे। बोलीदाता अपने साथ आधार कार्ड की प्रति साथ में लेकर आवे। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। शेष शर्ते एंव जानकारी निगम की वेबसाइट www.kotamc.org तथा निगम के राजीव गांधी भवन के ब्लॉक ए प्रथम तल के कमरा नं. (मेला आवन्टन कक्ष) में प्राप्त की जा सकती है।

ईस्ट जोनः–

क्र.सं.	झूला नं.	झूले की भूमि का नाप	झूले की भूमि की आरक्षित दर प्रति वर्ग फुट में।	आवेदन शुल्क प्रति आवेदन	धरोहर राशि
1	EJ 1	2000 वर्गफुट	73/– प्रति वर्ग फुट कार्नर	200/–	10000
2	EJ 2	2000 वर्गफुट	66/– प्रति वर्ग फुट	200/–	10000
3	EJ 3	2000 वर्गफुट	66/– प्रति वर्ग फुट	200/–	10000
4	EJ 4	2250 वर्गफुट	73/– प्रति वर्ग फुट कार्नर	200/–	10000
5	EJ 5	4292.01 वर्गफुट	73/– प्रति वर्ग फुट कार्नर	200/–	10000
6	EJ 6	3375.27 वर्गफुट	66/– प्रति वर्ग फुट	200/–	10000
7	EJ 7	2500.20 वर्गफुट	73/– प्रति वर्ग फुट कार्नर	200/–	10000
8	EJ 8	5037.00 वर्गफुट	73/– प्रति वर्ग फुट कार्नर	200/–	10000

वेस्ट जोनः–

क्र.सं.	झूला नं.	झूले की भूमि का नाप	झूले की भूमि की आरक्षित दर प्रति वर्ग फुट में।	आवेदन शुल्क प्रति आवेदन	धरोहर राशि
1	J-30	2334 वर्गफुट	170000	200/–	10000
2	J-36	1345.50 वर्गफुट	98000	200/–	10000
3	J-A	507 वर्गफुट	37000	200/–	10000
4	J-B	904 वर्गफुट	66700	200/–	10000
5	J-C	615 वर्गफुट	44700	200/–	10000
6	J-D	897 वर्गफुट	68500	200/–	10000
7	J-E	1160 वर्गफुट	83500	200/–	10000
8	J-F	1890 वर्गफुट	137520	200/–	10000
9	J-G	2478 वर्गफुट	180000	200/–	10000
10	JH-2	402 वर्गफुट	29500	200/–	10000
11	JH-3	3650.33 वर्गफुट	240922	200/–	10000
12	JH+I	3650 वर्गफुट	265500	200/–	10000

11.9.19

उपायुक्त एवं मेलाधिकारी
नगर निगम, कोटा

क्रमांकः— ननिको/राजस्व/मेला/2019/1585-94 दिनांकः— 11-09-2019

प्रतिलिपि :—

11. महापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
12. उपमहापौर महोदया, नगर निगम कोटा।
13. मेला अध्यक्ष, नगर निगम कोटा।
14. अध्यक्ष, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा।
15. मुख्यलेखाधिकारी, नगर निगम कोटा।
16. राजस्व अधिकारी, नगर निगम कोटा।
17. पुस्तकालय को भेजकर लेख है कि इसे ~~एक~~ दो राज्य स्तरीय एवं एक क्षेत्रीय स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की प्रति राजस्व शाखा में भिजवाये।
18. ओसवाल डाटा प्रोसेसर को भेजकर लेख है कि नगर निगम वेबसाईट पर डाले।
19. स्मार्टराज प्रोजेक्ट को भेजकर लेख है कि RSPPP पर डालें।
20. गार्ड पत्रावली।

11.9.19.

उपायुक्त एवं मेलाधिकारी
नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

पता :– सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा

ई–मेल :– nnkota@gmail.com
revenuemck@gmail.com

क्रमांकः– ननिको/राजस्व/मेला/2019/

दिनांकः–

झूला नीलामी शर्ते

1. यह नीलामी केवल (2019) की मेला अवधि तक ही मान्य होगा। मेला समाप्ति के तीन दिवस के अंदर मौके से झूला व उसका सामान हटाना होगा।
2. भूमि/भूमि का कोई भाग किसी भी अन्य को सबलेट नही की जावेगी। यदि सबलेट पाया जाता है तो नीलामी निरस्त कर झूले का संचालन रोककर भूमि निगम के कब्जे में ले ली जावेगी।
3. झूला संचालन से पूर्व जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने, निगम में जमा कराये जाने पर ही झूला संचालन की अनुमति दी जावेगी।
4. झूले पर वांछित लोड का विद्युत कनेक्शन संबंधित विभाग से अपने खर्चे पर लेना होगा।
5. झूला परिसर में समुचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र अस्थाई तौर पर स्थापित करने होंगे।
6. झूले से किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए झूला संचालक उत्तरदायी होगा।
7. रात्रि 10 बजे पश्चात झूले पर ध्वनि निस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी।
8. झूले के आसपास डस्टबिन झूला संचालक द्वारा रखा जावेगा तथा झूले संचालक/कर्मचारी मेला क्षेत्र में पॉलेथिन का उपयोग नही करेंगे।
9. झूला क्षेत्र में संचालक को फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।
10. धरोहर राशि चैक द्वारा ही जमा करवाई जाने पर टोकन दिया जावेगा। धरोहर राशि का नकद/डी.डी स्वीकार नही होंगे।
11. आवेदन शुल्क व धरोहर राशि जमा कराये बिना कोई भी नीलामी में भाग नही ले सकेगा। नीलामीदाता स्वयं की स्व प्रमाणित प्रति आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र लगाना आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य होगा।
12. बोलीदाता यदि किसी नीलामी में असफल होता है तो वह अगले झूले की नीलामी में उसी धरोहर राशि से अगली नीलामी में भाग ले सकेगा।
13. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की समस्त राशि तत्काल निगम कोष में नकद जमा करानी होगी।
14. अलग– अलग आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अलग–अलग धरोहर राशि जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगा।
15. 18 प्रतिशत जीएसटी फायर शुल्क, सफाई शुल्क नियमानुसार वसूलनीय है।
16. उक्त भूमि जो कि सफल बोलीदाता को आवंटित हुई है। उसे झूला (एम्यूजमेंट) प्रयोजनार्थ के उपयोग में लाया जावेगा अन्य व्यवसाय करता पाए जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही जावेगी।
17. नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने के अधिकार नगर निगम कोटा में निहित होगा।
18. असफल बोलीदाता को धरोहर राशि का चैक तुरन्त वापस किया जावेगा। उसका समायोजन नही किया जावेगा।
19. भूमि की मौके पर उपलब्धता के अनुसार झूले की भूमि का नाप ही मान्य होगा।
20. निगम हित में कमी भी नीलामी बोली सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
21. न्यायिक क्षेत्र कोटा रहेगा ।

4/5.19.

उपायुक्त एवं मेलाधिकारी
नगर निगम, कोटा